

विविध बैंक प्रकरण सं० 06/2019- (RCMS 2019/00015) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सादुलशहर जरिये श्री निर्मल सिंह संधू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल एस्सेट्स क्रेडिट केन्द्र, नगरपालिका रोड़, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स सुरेन्द्रपाल विजय कुमार-प्रो. श्री विजय कुमार वार्ड नं. 14, नई धान मण्डी, तहसील सादुलशहर एवं वार्ड नं 14, गुरु नानक फैक्ट्री के पास, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

28.08.2019



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस पूर्व में दिनांक 07.08.2019 को सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स सुरेन्द्रपाल विजय कुमार-प्रो. श्री विजय कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 20.00 लाख रुपये (अखरे रुपये बीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 13.12.2012 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री विजय कुमार की व्यावसायिक सम्पत्ति वार्ड नम्बर 14, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 224.68 वर्गयार्ड) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.05.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 06.07.2019 को 21,29,243/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 09.07.2018 को उक्त

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मै. सुरेन्द्र पाल विजय कुमार -प्रो. विजय कुमार द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी श्री विजय कुमार की उक्त बंधक अचल सम्पत्ति वार्ड नं. 14, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 224.68 वर्गयार्ड) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै. सुरेन्द्रपाल विजय कुमार-प्रो. विजय कुमार को 20.00/-लाख रुपये (अखरे रुपये बीस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 13.12.2012 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मै. सुरेन्द्र पाल विजय कुमार-प्रो. विजय कुमार द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति वार्ड नं. 14, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 224.68 वर्गयार्ड) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 28.05.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 09.07.2018 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति हेतु पोस्ट ऑफिस का ऑनलाईन ट्रैक कंसाईन्मेंट की प्रति पेश की है, जो रिकॉर्ड में उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल अचल सम्पत्ति वार्ड नं. 14, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 224.68 वर्गयार्ड) जो ऋणी प्रो. श्री विजय कुमार के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 09.07.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 09.07.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी मै. सुरेन्द्र पाल विजय कुमार -प्रो. विजय कुमार के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप धारा 13(2) का नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं पोस्ट ऑफिस का ट्रैक कंसाईन्मेंट की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी प्रो. श्री विजय कुमार द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक-शाखा सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक ०४.०१.२०१९ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ अन्तर्गत धारा १४ स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति वार्ड नं. १४, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल २२४.६८ वर्गयार्ड) जो कि ऋणी प्रो. श्री विजय कुमार के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक २८.०८.२०१९ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला प्रजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर